देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/204 E-Newsletter, Issued in Public Interest सोमवार, 11 अक्तूबर 2021

झालाना डूंगरी स्थित कल्ली के भट्टों वाली सरकारी जमीन पर लगा यह कोर्ट स्टे का बोर्ड असली है या फर्जी?

जिस सरकारी जमीन को पहले भी अतिक्रमण मुक्त करवा चुके उसे फिर से खाली करवाने मे देरी क्यूँ?

भाग-4

आखिर किस बहाने से ज़ोन-1 के प्रवर्तन अधिकारी जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक महोदय को गुमराह कर रहे है?

भूमाफियाओं की दबंगई से सरकार के आदेश भी दरकिनार!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जेडीए के ज़ोन 1 मे स्थित झालाना डूंगरी,बाईजी की कोठी,दूरदर्शन केंद्र के पास स्थित सरकारी जमीन का मामला|

जेडीए के ज़ोन 1 मे स्थित झालाना डूंगरी,बाईजी की कोठी,दूरदर्शन केंद्र के पास स्थित सरकारी जमीन पर बरसो से भू-माफियाओं की गिद्ध द्रष्टि गढ़ी हुई है|विगत 10 सालों मे इस सरकारी जमीन पर कई बार बस्तियाँ बसाने की कोशिशे की जा चुकी है और कई बार जेडीए इन अवैध बस्तियों को उजाड़ भी चुका है|परंतु भूमाफियाओं और जेडीए के भृष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से हर कार्यवाही के बाद इस सरकारी जमीन पर बस्तियाँ बस जाती है|

परंतु इस बार भूमाफियाओं द्वारा बड़े सुनियोजित तरीके से इस जमीन पर कब्जे किए जा रहे है|जिसकी भनक जेडीए के जिम्मेदार अधिकारियों को भी है|अब इस सुनियोजित साजिश से लगता है कि अब जेडीए के अधिकारियों का हिस्सा भी तय हो चुका है|तभी तो लाख शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार सोये हुए है और अतिक्रमी धड़ाधड़ अतिक्रमण कर,अवैध निर्माण कर रहे है|

स्टे का बोर्ड सही या फर्जी?

मौके पर लगा कोर्ट स्टे का बोर्ड|

हमारे द्वारा यह मामला जेडीए के संज्ञान मे लाने पर जेडीए के जिम्मेदार अधिकारी तोते की तरह यही रटा-रटाया जवाब दे रहे है कि मामले मे जिम्मेदारों को जेडीए की धारा 72 के तहत नोटिस जारी किए जा चुके है|दिनांक 17/05/2021 को दिये गए जवाब मे भी ज़ोन-1 के प्रवर्तन अधिकारी यही बात दोहरा रहे है|लेकिन अभी तक अतिक्रमण हटाने की बात पर मौन है|जानकारों के अनुसार इस मामले मे जेडीए के प्रवर्तन अधिकारियों और संविदा पर तैनात कर्मचारियों की भूमाफियाओं से साँठ-गांठ सामने आ रही है|अपने आला अधिकारियों द्वारा इस मामले मे जवाब मांगने पर वह इस प्रकरण मे किसी कोर्ट-स्टे का हवाला देकर मामला टालने मे लगे हुए है|लेकिन स्टे किस कोर्ट का है? कब लगा है?इसकी जानकारी देने से कतरा रहे है|

Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (Enforcement) , Enforcement Officer - 1	. . .	Remarks	17-May-2021	प्रकरण में धारा ७२ के नोटिस जारी किये जा चुके है अग्रिम कारवाही प्रकियाधिन है
Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (Enforcement) , Enforcement Officer - 1	. . .	Partially Closed :Relief	17-May-2021	प्रकरण में धारा ७२ के नोटिस जारी किये जा चुके है अग्रिम कारवाही प्रकियाधिन है

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–1/2021/डी– 1564 दिनांक 19/7/21

मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन),
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषयः–व्यापक जनहित में जेडीए के जोन–1 में बाईजी की कोठी, दूरदर्शन के पास (कल्ली के भट्टो की सरकारी जमीन), झालाना डूँगरी स्थित करोडो रूपये की सरकारी जमीन को भूमाफियाओं द्वारा किये गये कब्जों/अतिक्रमण/अवैध निर्माणों से मुक्त कर तारबंदी करने बाबत प्रार्थना पत्र।

सन्दर्भः–नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, का डायरी क्रमांक 33882 दिनांक 21.06.2021 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जोन द्वारा जॉच परीक्षण कर अतिक्रमण को चिन्हितकरण कर भिजवाया गया है जिसमें नियमानुसार कब्जे/अतिक्रमण/अवैध निर्माण को हटाने का श्रम करावें।

sd
(कुन्तल विश्नोई)
उपायुक्त, जोन–1
ज.विप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जवाब दो सरकार, एस–1, सेंकड फ्लोर, झारखण्ड अपार्टमेंट, झारखंड महादेव मोड, जनरल सगत सिंह मार्ग, खातीपुरा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

sd

(कुन्तल विश्नोई)
उपायुक्त, जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

इस सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार के निर्देशों की भी पालना नहीं|

इस मामले मे जेडीए द्वारा उदासीनता बरतने पर हमारे द्वारा यह मामला राज्य सरकार के संज्ञान मे भी लाया गया था,जिस पर सरकार द्वारा जेडीए को कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे|इस मामले मे जेडीए ज़ोन -1 की उपायुक्त श्रीमति कुंतल विश्नोई द्वारा मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन को पत्र लिख कर अतिक्रमण को चिन्हित कर नियमानुसार कब्जे/अतिक्रमण/अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिये लेकिन कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है|

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302 004
फोन : 0141–2573150 (0) 0141–2574555 (F) e-mail : jdc.jda@rajasthan.gov.in

प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिये गए धारा 72 के नोटिसो के बावजूद निर्माण कार्य जारी|,सड़क,बिजली की सभी व्यवस्थाएं चालू|

जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर ज़ोन-1 के प्रवर्तन अधिकारी इस करोड़ो रुपयों की सरकारी जमीन से अतिक्रमण खाली करवाने की कार्यवाही क्यूँ नहीं कर रहे है?
2. उनके द्वारा धारा 72 के नोटिस जारी किए हुए 7 महीने से अधिक हो गए है उसके बावजूद वह इस मामले की फाइल क्यूँ दबाये बैठे है?
3. क्या इस जमीन पर किसी कोर्ट का स्टे है?यदि स्टे है तो क्या जेडीए उस संबन्धित मामले मे पक्षकार है?यदि स्टे है तो जेडीए इस स्टे को रद्द करवाने की पुरजोर कोशिश क्यूँ नहीं कर रही?
4. यदि यह स्टे झूठा हुआ तो क्या झूठ बोलने वाले प्रवर्तन अधिकारी और उनके संविदा कर्मियों पर कार्यवाही की जाएगी?
5. जब जेडीए की प्रवर्तन शाखा रोज अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने का दावा कर रहा है तो इस सरकारी जमीन से आँख क्यूँ फेरे हुए है?
6. कौन है यह भू-माफिया जो बार बार इस जमीन पर पट्टे काट कर लोगो को बेच रहा है?आखिर उसके विरुद्ध कोई सख्त कार्यवाही क्यूँ नहीं कर रहा जेडीए?
7. इस मामले मे संबन्धित प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महोदय को क्या तथ्य बता कर गुमराह किया जा रहा है?
8. ज़ोन-1,प्रवर्तन शाखा के संविदा कर्मियों की इस मामले मे क्या मिलीभगत है?
9. आखिर क्यूँ जेडीए के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले मे राज्य सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों की भी पालना नहीं कर रहे है?
10. आखिर क्यूँ इस ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी महोदय को लाख शिकायतों के बावजूद नहीं हटाया जा रहा है?